301

संख्या– 812 /XV-2/11(11)/2011(मत्स्य)

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून ।

2–सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 30 जुलाई, 2012:

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्ति पर रहे डा0 आर0सी0 पोखरियाल, सहायक निदेशक मत्स्य की सेवा शर्तो के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–305/XV-2/1(20)/2005, दिनांक 23–12–2005 के द्वारा डा0आर0सी0पोखरियाल की उपनिदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के निःसंवर्गीय पद पर की गयी प्रोन्नति को कार्यालय ज्ञाप संख्या–1307/XV-2/01(20)/2005, दिनांक 04–11–2011 द्वारा अभिकरण के एक स्तर उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती मानते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि व्यतीत होने के फलस्वरूप डा0 पोखरियाल को उनके मूल विभाग मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया था। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित होनी आवश्यक थी, किन्तु उपरोक्त कारण से उक्त अवधि में डा0 पोखरियाल की प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित नही हो सकी थी, जिस कारण डा0 पोखरियाल के अवकाश अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा नही हो सके है।

चूँकि अब प्रतिनियुक्ति अवधि व्यतीत हो चुकी है और व्यतीत प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तो के निर्धारण का औचित्य नही रह गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय हस्त पुस्तिका खड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–115 एवं 116 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण में उपनिदेशक मत्स्य के निःसंवर्गीय पद पर दिनांक 21–12–2005 से प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने की अवधि (पांच वर्ष) तक प्रतिनियुक्ति पर रहे डा0आर0सी0 पोखरियाल, सहायक निदेशक मत्स्य की प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु अवकाश वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान के भुगतान की शर्तें निम्नानुसार सहर्ष निर्धारित करते है :–

अवकाश वेतन और पेंशन के लिए अंशदानों का भुगतान :– वाह्य सेवा की अवधि में डा0आर0सी0 पोखरियाल राज्य सरकार के अवकाश और पेंशन सम्बन्धित नियमों द्वारा ही नियंत्रित होंगे।

प्रश्नगत बाहय सेवा की अवधि में डा0आर0सी0 पोखरियाल के संबंध में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 115 व 116 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। उक्त देय अंशदानों का भुगतान डा0 पोखरियाल अथवा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण जैसी भी स्थिति/सहमति हो, द्वारा किया जाएगा। सहायक नियम–185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। उक्त अंशदान की वसूली व लेखे–जोखे के रख–रखाव के लिए सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तरदायी होगे।

चूंकि अंशदानों का भुगतान ससमय सुनिश्चित नहीं हुआ है ऐसी दशा में पूर्वोक्त सहायक नियम–185 में निर्धारित दर से अंशदानों पर ब्याज अभिकरण द्वारा देय होगा। यह अंशदान अभिकरण द्वारा महालेखाकार को बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से भेजा जायेगा। यदि भुगतान चैक से किया जाता है तो चैक को कास कर दिया जाये।

भवदीय,
/
(आर0सी0पाठक)
सचिव।

संख्या : 812(1)/XV-2/11(11)2011(मत्स्य) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित को।
4. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।